उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

का

136 वां प्रतिवेदन

[यह प्रतिवेदन चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, नियुक्ति, लोक निर्माण, गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, संसदीय कार्य, समाज कल्याण, माध्यमिक शिक्षा तथा राजस्व विभागों के वर्ष 1986 से 2013 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है।]

(दिनांक 24 फरवरी, 2016 को सदन में प्रस्तुत किया गया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय
समिति (सामान्य) अनुभाग-2

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
1-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2013-2014) के सदस्यों की सूची ...	क
2-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2014-2015) के सदस्यों की सूची ...	ख
3-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2015-2016) के सदस्यों की सूची ...	ग
4-उपस्थापन	ङ-ज
5-प्रतिवेदन	1-78

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2013-2014) के सदस्यों की सूची

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
***7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
*13	श्री बावन सिंह	गोण्डा	सदस्य
**14	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
*15	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
16	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री श्री चन्द्र पाल लाल	संयुक्त सचिव
4-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव
5-श्री लल्लू राम विश्वकर्मा	अनु सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2582/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2714/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा विधान सभा की लोक लेखा समिति के रिक्त पद पर श्री बावन सिंह (पूर्व सदस्य, आश्वासन समिति) को नाम-निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप एक पद रिक्त हो गया।

एवं

** पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2715/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा श्री मनीष असीजा को आश्वासन समिति के एक रिक्त पद पर सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किया गया।

*** पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-17/वि0स0/पटल/18(प)/2012, दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा श्री दीपक कुमार की मृत्यु की सूचना के फलस्वरूप दिनांक 24 जनवरी, 2014 से एक पद रिक्त हो गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2014-2015) के सदस्यों की उपस्थिति

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
3	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
7	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
*14	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2222/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2438/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-2016) के सदस्यों की उपस्थित

क्र0 सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
3	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री रामचन्द्र चौधरी	सुल्तानपुर	सदस्य
7	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	संत कबीरनगर	सदस्य
8	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
14	ठा0 दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य
*15	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-1962/वि0स0/प0का0/14(प)/2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2003/वि0स0/प0का0/10(प)/2015, दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा श्री आलमबदी, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

उपस्थापन

उपस्थापन

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 136वां प्रतिवेदन चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, नियुक्ति, लोक निर्माण, गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, संसदीय कार्य, समाज कल्याण, माध्यमिक शिक्षा तथा राजस्व विभागों से सम्बन्धित है और जिसे समिति ने अपनी दिनांक .... की बैठक में अंगीकार किया है, प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन 167 आश्वासनों की स्थिति अंकित की गयी है, जो वर्ष 1986 से 2013 तक की अवधि में शासन द्वारा सदन में समय-समय पर दिये गये थे। इन आश्वासनों पर समिति ने दिनांक 16-12-2013 से 09-12-2014 के मध्य अपनी बैठकों में विचार किया तथा शासन द्वारा आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विश्लेषण एवं विभागीय प्रमुख सचिवों का साक्ष्य लेने के उपरान्त सन्तोष व्यक्त करते हुये आश्वासनों को पूर्ण माना है अथवा शासन द्वारा की गई कार्यवाही को सन्तोषजनक मानकर उन्हें जारी न रखने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि के उन लम्बित आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन पर शासन के उत्तर से समिति संतुष्ट नहीं है और उन्हें पूर्ण नहीं माना है।

समिति इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 2015

सतीश महाना,
सभापति,
सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 136वां प्रतिवेदन वर्ष 1986 से 2013 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने दिनांक 16-12-2013 से 09-12-2014 के मध्य अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया तथा जिनकी पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है और जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है। उक्त सूची में उन आश्वासनों का भी उल्लेख किया गया है जिनके संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही से समिति संतुष्ट है और उन पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार करना आवश्यक नहीं समझा है।

आश्वासन संख्या	तिथि, प्रश्न संख्या, सदस्य का नाम तथा विषय	आश्वासन	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
283/1994	21-3-94 : अतारां0-118 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त- चीनी मिल हरदोई के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्यों का भुगतान किया जाना।	किया जायेगा।	दि0 16-12-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि चीनी मिल के वर्ष 1977-1978 के बकाया गन्ने मूल्य रु0 7.11 लाख के भुगतान हेतु पैसा सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति, सीतापुर को उपलब्ध करा दिया गया है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि जिन किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है उनको भुगतान कर दिया जाय।
		चीनी उद्योग-	
872/2001	17-5-01 : बजट चर्चा बन्द हुयी चीनी मिलों के बन्द होने के कारण की जानकारी के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति का गठन।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उच्च स्तरीय समिति की बैठक दि0 17-12-13, 30-1-14 व 7-2-14 की बैठकों में विचार के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की चीनी मिलें कम क्षमता, जीर्ण-शीर्ण एवं अत्यधिक घाटे के कारण बन्दी/असंचालन की स्थिति उत्पन्न हुई। इसकी बन्दी विक्रय के उद्देश्य से नहीं की गई। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
290/2002	27-8-02 : अतारां0-46 श्री बंशीधर राज- गन्ना विकास विभाग में लिपिक लेख संवर्ग की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	परीक्षणाधीन है।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गन्ना विकास विभाग में लिपिकीय संवर्ग से पृथक अधीनस्थ लेखा संवर्ग का गठन कर दिया गया है। अतः अब अलग से सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग	
129/2003	9-12-03 : नियम-301 श्री सुरेश कुमार खन्ना- पुवायां, शाहजहांपुर चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 16-12-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि चीनी मिल को पुनः चलाने का फैसला हो गया है और इसकी मरम्मत भी हो रही है व इसी महीने चालू हो जायेगी। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया जिन लोगों को वी0आर0एस0 का लाभ नहीं मिला उन लोगों की सेवायें भी इस फैक्ट्री में ली जायें।

चीनी उद्योग-3

435/2004	17-11-04 : अल्पतारां0- श्री श्यामदेव राय चौधरी- गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान किया जाना।	भुगतान किया जायेगा।	दि0 16-12-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 में गन्ना क्रय किये जाने की विधिक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत गन्ना मूल्य के भुगतान की व्यवस्था की जाती है। इसके लिये अलग से नीति बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चीनी उद्योग

534/2004	30-11-04 : नियम-51 श्री ओ0 पी0 सिंह- किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सुल्तानपुर में भण्डारित चीनी स्टाक कम पाये जाने के कारणों की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में दोषी 3 कर्मचारियों के वेतन से रु0 4000/- रुपये प्रतिमाह की दर से कटौती की जा रही है। अभी तक रु0 9,66,535/- के सापेक्ष रु0 6,37,634/- की वसूली हो चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
46/2005	17-2-05 : तारां0-3 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- चीनी निगम सहकारी तथा निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों को पेराई सत्र, 2004-05 का अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना।	भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं।	दि0 16-12-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पेराई वर्ष 2004-2005 के समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
57/2005	17-2-05 : अतारां0-15 श्री संजीव दरियाबादी- बभनान चीनी मिल गोण्डा द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में पूर्व विधायक चौ0 बिजेन्द्र सिंह के शिकायती-पत्र दिनांक 8-5-04 पर कार्यवाही।	आदेशित कर दिया गया है।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शिकायती-पत्र के आधार पर जांच कराई गई तो पाया गया कि यह तथ्यहीन है। इसमें कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		चीनी उद्योग-2	
205/2005	3-3-05 : तारां0-1 श्री राम इक़बाल सिंह- जनपद बलिया के रसड़ा चीनी मिल को लीज पर दिया जाना।	निर्णय लिया जाना है।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि रसड़ा चीनी मिल की मशीनरी जीर्ण-शीर्ण है इसलिये वह 1 महीना ही चलती है। इसमें एक नीतिगत निर्णय होना अभी बाकी है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
523/2005	28-7-05 : अतारां0-99 श्री लल्लू सिंह- गन्ना विकास विभाग में अपर गन्ना आयुक्त के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 16-12-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अपर गन्ना आयुक्त का कोई पद रिक्त नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
230/2007	31-10-07 : अतारां0-77 श्री पंकज मलिक- प्रदेश के गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान कराया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार सहकारी/निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई सत्र, 2006-07 का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
239/2007	31-10-07 : अतारां0-136 श्री आरिफ अनवर हाशमी- देवीपाटन मण्डल में स्थापित चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वहां की सहकारी/निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई सत्र, 2006-07 का कोई बकाया नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
299/2008	20-8-08 : अल्पतारां0- श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही- मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अगौता चीन मिल से प्रदेश के गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अगौता चीनी मिल का 100 परसेन्ट भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
134/2010	10-2-2010 : तारां0-6 श्री मदन चौहान- अगौता शुगर मिल (बुलन्दशहर) पर गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 16-12-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अगौता चीनी मिल, बुलन्दशहर पर वर्तमान स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य के मद में कोई धनराशि बकाया नहीं है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		चीनी उद्योग-3	
6/2011	9-2-2011 : अतारां0-60 श्री सुखलाल- उप गन्ना आयुक्त के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि चीनी उद्योग अनु0-3 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दि0 8-6-12 द्वारा उप गन्ना आयुक्त के रिक्त 08 पदों पर पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-2	
171/2011	10-8-2011 : अतारां0-184 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- जनपद सीतापुर-महमूदाबाद चीनी मिल के कर्मचारियों के अवशेष ओवर आइम का भुगतान।	प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जायेगा।	दि0 12-11-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 महमूदाबाद, सीतापुर में कार्यरत कर्मचारियों का पेराई सत्र, 2010 के ओवर टाइम मद में देय पूरी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
170/2012	20-6-2012 : अतारां0-5 श्री हुकुम सिंह- प्रदेश में रोग ग्रसित गन्ने को रोगों से दूर करने की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यक्रम चलाया जा रहा है।	दि0 16-12-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गन्ने को रोगों से दूर करने का निदान चेंज आफ वैराइटी या चेंज आफ सीड हैं कृषक सावधानी बरते तथा गर्म पानी में भिगोकर रोपे तो इस रोग को न्यूनतम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर काश्तकारों को नई तकनीकी व्यवस्था से तथा रोग को चेक करने की प्रक्रिया भी विकसित करने की व्यवस्था की जा रही है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा शिक्षा (चिकित्सा स्वास्थ्य से)	
362/98 820/98	1-7-98 : अतारां0-86 श्री तेजभान सिंह- चिकित्सा शिक्षा (चिकित्सा विभाग-10 से) 22-7-98 अतारां0-44 श्री तेजभान सिंह- श्री तेजभान सिंह, स0वि0स0 के शिकायती-पत्र दिनांक 24-4-97 के सम्बन्ध में जांच।	विचाराधीन है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी डा0 वी0के0 श्रीवास्तव अधिवर्षता आयु पूर्ण कर माह मई, 2011 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रकरण मा0 अधिकरण में लम्बित है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि अधिकरण में प्रभावी पैरवी कराकर कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाय।
		चिकित्सा शिक्षा-2	
366/98	1-7-98 : अतारां0-111 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय के स्थान पर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	जी हां।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-5 (4) की उपधारा (1) को विलोपित किये जाने केवल कानपुर विश्वविद्यालय से ही सम्बद्धता की बाध्यता नहीं रह गई है। जो जहां है, वहां से सम्बद्ध करा सकता है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		चिकित्सा शिक्षा-1	
851/98	22-7-98 : अतारां0-189 श्री मुरलीधर- राजकीय मेडिकल कालेज एवं उसके सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा संस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के सम्बन्ध में।	पूर्ण किया जायेगा।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण तत्समय पदोन्नति नहीं हो सकी व अब पदोन्नति में आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा शिक्षा-1	
666/99	10-3-99 : अतारां0-171 श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री शिव सिंह चक- आर0ए0एल0सी0 (लखनऊ) में की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनियमित नियुक्ति में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही।	जांच कराई जा रही है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नियुक्ति पर रोक के बावजूद रखे गये 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने पूर्व में नौकरी छोड़ दी तथा शेष 3 कर्मचारियों की सेवायें दि0 25-6-1999 द्वारा समाप्त कर दी गई। वर्तमान में प्रकरण मा0 उच्च्य न्यायालय में विचाराधीन है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा शिक्षा-2	
1171/99	24-3-99 : अतारां0-70 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय के अध्यापकों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नीचे के स्तर पर अर्हता की दिक्कत है। इसमें निर्धारित अर्हता को कम करके और नार्मस को कम करके ही कुछ किया जा सकता है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इन पदों पर नये सिरे से भरने की कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाय।

1	2	3	4
		चिकित्सा शिक्षा-4	
1467/99	5-1-2000 : अतारां0-55 श्री जय प्रकाश निषाद- पांच होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पांचों होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक वेतन प्रदान कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा शिक्षा-3	
1470/99	5-1-2000 : अतारां0-77 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0-1/ 19814/प्रतापगढ़/99 माह जनवरी, 99 पर जांच एवं कार्यवाही।	निर्देशित किया जा चुका है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पत्रावली के सम्बन्ध में डी0एम0 से जानकारी की गई कि अगर कोई पत्र व्यवहार हुआ तो विवरण उपलब्ध करा दे। डी0एम0 ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। पिछले माह जो इस तरह के 16 प्रार्थना-पत्र आये थे। उनकी मैंने मानिटरिंग की थी किन्तु उसमें इनका प्रार्थना-पत्र नहीं था और न ही उसका परस्यु करने के लिये कोई प्रतिनिधि ही आया था। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		चिकित्सा शिक्षा-3	
1472/99	5-1-2000 : अतारां0-96 श्री गोपाल कृष्ण- शासी निकाय के दिनांक 3-1-97 के निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही गतिमान है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्णय के अनुरूप एम्स, नई दिल्ली में विद्यमान ढांचे के अनुसार मिनिस्ट्रियल कैडर के शासी निकाय की बैठक दि0 27-11-2001 द्वारा पुनर्गठित कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा शिक्षा-2	
1475/99	5-1-2000 : अतारां0-126 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- बजाज समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों के शिक्षकों को यू0जी0सी0 वेतनमान देने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित बजाज वेतन समिति की रिपोर्ट के अनुसार शासन द्वारा अनुमन्य वेतनमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के शिक्षकों को दिया जा रहा है। डिमांस्ट्रेटर का पदनाम व वेतनमान परिवर्तित कर प्रवक्ता तथा वेतनमान शासनादेश दि0 28-9-2007 द्वारा प्रदान कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा शिक्षा-2	
1476/99	5-1-2000 : अतारां0-127 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति शिक्षक सेवा नियमावली, 1998 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही।	विचाराधीन है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि यह आश्वासन पत्र सं0-1171/99 की तरह है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इन पदों पर नये सिरे से भर्ती की कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाय।

1	2	3	4
		चिकित्सा शिक्षा	
250/2000	10-4-2000 : नियम-51 श्रीमती कृष्णाराज, श्री हीरालाल गौतम, चौधरी प्रदीप कुमार, उदयराज यादव, श्री गोपाल कृष्ण, अब्दुल मन्नान व श्री श्याम प्रकाश- राज्य में संचालित होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के शैक्षिक संवर्ग के अन्य पदों यथा रीडर व प्रोफेसर के पदों पर वर्तमान सेवा नियमावली में 50 प्रतिशत प्रोन्नत कोटे को शत-प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों हेतु प्रख्यापित सेवा नियमावली, 1990 में रीडर तथा प्रोफेसर के 50% पदों को सीधी भर्ती तथा 50% पदों की पदोन्नति से भरे जाने का प्राविधान है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इसी पालिसी को एडाप्ट करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
		चिकित्सा शिक्षा	
333/2000	25-4-2000 : नियम-103 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु पेटेन्ट सबन्धी विधि में संशोधन की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि यह डोमेन भारत सरकार का है। अतः भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विभाग अपेक्षित कार्यवाही करेगा। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा शिक्षा-3

790/2000	17-5-2000 : तारां0-3 श्री नरेन्द्र सिंह- मेडिकल कालेजों में एन0आर0आई0 कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	निर्देशानुसार की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्राइवेट मेडिकल कालेज व डेंटल कालेजों में प्रवेश में एन0आर0आई0 कोटा नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा शिक्षा-1

456/2001	9-5-01 : तारां0-1 श्री श्यामदेव राय चौधरी- प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर कर लगाने चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने तथा जन सामान्य को समुचित उपचार उपलब्ध कराये जाने वाले निर्णय को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार किया जा रहा है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निजी प्रैक्टिस पर कोई कर लगाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। अतः विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा शिक्षा	
1077/2001	22-5-01 : नियम-51 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- सी0पी0एस0ई0 की प्री-डेन्टल प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु चेयरमैन सी0वी0एव0ई0 से अनुरोध एवं प्रश्नगत प्रकरण में गिरफ्तार किये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि यह मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है और प्रदेश सरकार की तरफ से भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। कार्यवाही उन्हीं के स्तर से होनी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा शिक्षा	
398/2002	4-9-02 : नियम-51 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- धनवन्तरि चिकित्सा वि0वि0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सम्प्रति वर्तमान में जितने भी नये मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं वे सभी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध होते हैं इसलिये धन्वन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा शिक्षा-2

441/2005	20-7-05 : अतारां0-13 श्री शिवेन्द्र सिंह- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिंसवा बाजार जनपद महराजगंज के मकान मालिक को किराये का भुगतान कराया जाना।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिंसवा बाजार जनपद महाराजगंज के मकान मालिक को किराये का जुलाई, 2014 तक का भुगतान कर दिया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा शिक्षा-1

506/2005	27-7-05 : तारां0-8 श्री प्रदीप जैन आदित्य- झांसी जनपद स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में बर्न वार्ड को शीघ्र चालू किया जाना।	यथाशीघ्र।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में बर्न वार्ड दि0 25-7-2005 से प्रारम्भ हो गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा शिक्षा

732/2005	28-2-06 : विधेयक चर्चा श्री हुकुम सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- प्रदेश के डेन्टल कालेजों को डेन्टल काउसिंग आफ इण्डिया के इंस्ट्रक्शन के अनुरूप चलाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश के डेन्टल कालेजों को डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया के हिसाब से चलाना सुनिश्चित किया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-3	
1181/99	24-3-99 : अतारां0-107 श्री नवाब सिंह नागर- जनपद गौतमबुद्ध नगर में हिन्डन यमुना दोआब बांध के निर्माण हेतु ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2010-11 तक वांछित कुल धनराशि रु0 1861.89 लाख के सापेक्ष रु0 1111.67 लाख का भुगतान कृषकों को किया गया। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया। अवशेष कृषकों को भुगतान हेतु अन्तिम मौका दे दिया जाय और उसका पैसा ट्रेजरी में जमा कर दें।
		सिंचाई-4	
1286/99	14-7-99 : अतारां0-32 श्री राजीव कुमार सिंह- महराजगंज जनपद के गड़ौरा लक्ष्मीपुर मार्ग पर मौरहिया नदी पर बने पुल में वियरिंग लगाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गड़ौरा लक्ष्मीपुर मार्ग पर मौरहिया नाले पर बने पुल में इलास्टोमेटिक वियरिंग उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा लगवा दिया गया है व पुल पर आवागमन चालू हो गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-4

1287/99	14-7-99 : अतारां0-33 श्री छोटे लाल गंगवार- नवयुग राष्ट्रीय सहकारी आवास समिति बरेली द्वारा नहर पाट अनाधिकृत रूप से कब्जा कर सड़क बनाये जाने पर अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विशेष सचिव द्वारा की गई जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना बरादरी बरेली, तहसीलदार सदर श्री जयपाल सिंह एवं मुख्य नियोजक, बरेली विकास प्राधिकरण को दोषी पाया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिये इनके विभाग को लिखा गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-5

101/2001	24-4-01 : अतारां0-92 डा0 सरजीत सिंह डंग- बुलन्दशहर एवं हरदुआगंज राजवाहे के किनारे वर्ष 94-95 तक 2.74 करोड़ रुपये से निर्मित नलकूपों के सिविल कार्य तथा विद्युतीकरण कराकर नलकूपों को चालू कराये जाने का प्रयास।	पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत हरदुआगंज रजवाहे पर निर्मित सभी 16 नलकूप चालू होकर सिंचाईरत हैं। बुलन्दशहर रजवाहे पर निर्मित सभी 13 नलकूप चेकिंग पर क्रियाशील पाये गये। विद्युत विभाग को 13 नलकूपों हेतु धन उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 नलकूपों में से 6 नलकूपों का विद्युतीकरण विद्युत विभाग द्वारा करा दिया गया है। शेष 7 के सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से बात करके करा दी जायेगी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-3	
241/2001	1-5-01 : अतारां0-120 श्री विजय पाल सिंह- जनपद मथुरा तहसील मांट में निर्माणाधीन कराहटी नाले हेतु 1985 में अधिग्रहीत की गयी जमीन के मुआवजे का भुगतान।	धन की उपलब्धता के आधार पर होगा।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मा0 समिति के निर्देशानुसार विवादित प्रकरण को समाचार-पत्र में मुआवजा लेने के लिये प्रकाशित कराया गया। माह अगस्त, 2014 तक कुल 4 प्रार्थना-पत्रों में इंगित खसरा सं0-412, 394, 481 व 70 में मालिकाना हक होने के निर्णय होने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद विचाराधीन है। लगभग 80 कृषक कम राशि होने के कारण ड्राफ्ट लेने नहीं आये। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि मुआवजा ट्रेजरी में जमा करा दें तथा मा0 उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार निर्णय करें।
		सिंचाई-3	
710/2001	15-5-01 : अतारां0-21 श्री नवाब सिंह नागर- हिन्डन यमुना दोआब बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में।	किया जा सकेगा।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस आश्वासन की प्रकृति व पत्र सं0-1181/99 एक ही प्रकार का है। अतः इस आश्वासन को समिति ने ड्राप किया।

सिंचाई-4

724/2001	15-5-01 : अतारां0-60 श्री समरपाल सिंह- जनपद मऊ में सहरोज ग्राम के पास छोटी सरयू नदी पर पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराने की कार्यवाही।	नाबार्ड के माध्यम से कराई जा रही है।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद मऊ में मद सं0-4711 में छोटी सरयू ड्रेन के पुनर्स्थापना के अन्तर्गत किमी0 0.250 पर बी0आर0बी0 का निर्माण दि0 20-5-2005 में पूर्ण हो गया है एवं मार्च, 2006 में अन्तिम भुगतान भी हो चुका है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-6

732/2001	15-5-01 : अतारां0-76 श्री दीप लाल भारती- श्री उत्पल कुमार डे, तात्कालिक अधिशासी अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड-5 देवरिया द्वारा किये गये घोटाले की शिकायत की जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	विचाराधीन है।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-5	
734/2001	15-5-01 : अतारां0-91 श्री धर्मज्ञ मिश्र- जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत सहिजना ड्रेन के पुनरोद्धार सेक्सन करेक्टिंग एवं पक्के कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्य कराया जायेगा।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सहिजना ड्रेन के पुनरोद्धार सेक्शन करेक्टिंग एवं पक्के कार्यों का निर्माण कार्य दि0 30-12-2002 तक पूर्ण कराया जा चुका है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-10	
736/2001	15-5-01 : अतारां0-99 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- जिला शाहजहांपुर के नलकूप विभाग में कराये गये कार्यों में की गयी धांधली की जांच में पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध दण्डादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त वसूली की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-10

766/2001	15-5-01 : अतारां0-189 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 3रे बुधवार के अता0प्र0सं0-25 के उत्तर के संदर्भ में प्रमुख अभियन्ता से प्राप्त प्रारम्भिक जांच आख्या में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	सूचना मांगी गयी है।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रारम्भिक जांच आख्या में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई

965/2001	18-5-01 : बजट भाषण जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जहां 2 कनेक्टविटी होती है और किसान सजग होते हैं वहां तालाब भरे जाते हैं। आर0आर0आर0 स्कीम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत केन्द्र व 50 प्रतिशत राज्य सरकार से प्राप्त पैसे से बड़े पैमाने पर तालाब ठीक करा रहे हैं। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाय और डिसिलिटंग कराकर तालाबों को भरा जाय।

1	2	3	4
		सिंचाई	
966/2001	18-5-01 : बजट भाषण बाढ़ संरक्षण कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बाढ़ संरक्षण के कार्य में यदि कहीं लापरवाही संज्ञान में आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई (यांत्रिक)	
240/2013	18-9-2013 : अतारां0-45 श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू- जनपद बदायूं के 38 नलकूपों को निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	दि0 9-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद बदायूं के 38 में से 36 नलकूप लग चुके हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		नियुक्ति विभाग (सहायता एवं पुनर्वास से स्था0)	
519/86	7-3-86 : अतारां0-65 श्री जर्नादन प्रसाद ओझा- गोरखपुर नगर के पैडलेगंज पुनर्वास विभाग द्वारा 46 पैसे प्रति फिट की दर से भूमि का बेचा जाना।	जांच की जा रही है।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री एस0पी0 अंजोर, तत्कालीन पुनर्वास अधिकारी, गोरखपुर को लोक सेवा आयोग के द्वारा सचेत किये जाने का दण्ड दिया गया है जो कार्यवाही कर दी गई है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		नियुक्ति विभाग (समाज कल्याण से स्था0)	
165/89	17-2-89 : तारां0-12 श्री मैनेजर सिंह- गांधी विद्यालय इण्टर कालेज मारूपपुर मर्यादपुर जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान न होना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दो दोषी अधिकारियों मे से श्री हरी लाल पासी को परिनिन्दित किया गया। जिसके कारण उनका आई0ए0एस0 में प्रमोशन नहीं हो पाया एवं दूसरे श्री राममूर्ति राम रिटायर हो चुके हैं इसलिये उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली, 1999 के अनुच्छेद-351 के आधार पर उन्हें दण्डित नहीं किया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		नियुक्ति विभाग (खाद्य एवं रसद से स्था0)	
201/95	27-7-95 : आय-व्ययक श्री कल्याण सिंह- तत्कालीन खाद्य सचिव के विरुद्ध करोड़ों रुपये के चावल एक्सपोर्ट की जांच।	जांच की जायेगी।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री बृजेन्द्र जो खाद्य सचिव के रूप में इस प्रकरण में आरोपी थे, की मृत्यु दि0 21-1-2008 को हो गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		नियुक्ति विभाग (अनौपचारिक शिक्षा से)	
298/98	30-6-98 : तारां0-8 श्री कृपा शंकर सिंह- जनपद बाराबंकी में साक्षरता कार्यक्रम में धन के घोटाले की जांच।	कार्यवाही विचाराधीन है।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री अरुण आर्या, तत्कालीन जिलाधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध पंचायत उद्योग से क्रय करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई इसलिये उनको दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नियुक्ति विभाग (ग्राम्य विकास-1 से)	
158/99	17-2-99 : अतारां0-5 श्री भोलाशंकर मौर्य- जनपद बदायूं में ग्रामीण निर्बल एवं असहायों को दी गई धनराशि में डी0आर0डी0ए0 तथा विकास विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच।	अन्वेषण किया जा रहा है।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी श्री एस0सी0 सक्सेना की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती का दण्डादेश दिया गया परन्तु मा0 उच्च न्यायालय ने उसको समाप्त कर दिया। विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एस0एल0पी0 दायर की वह दि0 17 जुलाई, 2012 को खारिज हो गई व 10 प्रतिशत पेंशन से कटौती का दण्डादेश पारित किया था उसकी धनराशि वापस कर दी गई। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		नियुक्ति विभाग (आवास से स्थानान्तरित)	
438/99	26-2-99 : अतारां0-2 श्री धर्मज्ञ मिश्र- विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 5वें शुक्रवार के अता0प्र0सं0-40 के सम्बन्ध में आवासीय समिति के दुरुपयोग की जांच।	जांच की जा रही है।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री सुरेश कुमार उप आवास आयुक्त की जांच में यह पाया गया कि श्री जियालाल अग्रवाल को आवंटित भूमि किसी अनुचित लाभ लेने के लिये नहीं तथा उस समय के आवासीय रेट से दुगुने रेट (कामर्शियल रेट) पर आवंटित की गई थी। इसमें किसी वित्तीय अनियमितता का प्रकरण नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

(परिवहन से नियुक्ति को स्थाना0 8-2-07)

513/99	27-2-99 : बजट परिवहन निगम में 175 अवैध नियुक्तियां करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री माजिद अली, तत्कालीन परिवहन आयुक्त द्वारा निचले स्तर से रिक्तियों की सूची मंगाये बिना नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, वे सभी नियुक्तियां उसी समय समाप्त कर दी गई थीं। विभागीय कार्यवाही में उन्हें भविष्य के लिये सचेत करते हुए दि0 16 दिसम्बर, 2010 को कार्रवाई पूरी कर ली गई। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

नियुक्ति विभाग (समाज कल्याण से 27-5-08)

305/2001	2-5-01 : अतारां0-130 श्री छोटे लाल गंगवार- सितम्बर, 95 से दिसम्बर, 1997 तक फैजाबाद मण्डल में उप निदेशक समाज कल्याण के पद पर तैनात पी0सी0एस0 अधिकारी द्वारा समूह 'ग', 'घ' में की गयी नियुक्तियों में हुई धांधली की जांच।	विचाराधीन है।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री एल0 एन0 त्रिपाठी तत्कालीन उन निदेशक, समाज कल्याण फैजाबाद द्वारा समूह 'ग' की 7 नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांच में दोषी पाने पर नियुक्ति विभागक द्वारा उन्हें परिनिन्दित किया। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नियुक्ति-3	
179/2004	26-7-04 : अतारां0-150 श्री प्रेम सिंह- जनपद मथुरा की तहसील मांट के एस0डी0एम0 मांट द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता की जांच किया जाना।	निदेश दिये गये हैं।	दि0 12-11-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं थी और किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास भी नहीं किया गया। केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि थी जिसके लिये उन्हें परिनिन्दित किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-1	
225/2007	31-10-07 : अतारां0-58 श्री सुरेश कुमार खन्ना- शाहजहांपुर-पुवायां मार्ग बड़ावन, शाहजहांपुर मोहम्मदी मार्ग से हथौड़िया एवं शाहजहांपुर-सीतापुर मार्ग से बरनई हुसेनापुर सम्पर्क मार्गों की मरम्त कराया जाना	पूर्ण किया जाना लक्षित है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्गों के मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 600 मीटर की सड़क के निर्माण हेतु मण्डी परिषद् द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दोनों मार्गों की मरम्मत हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं मरम्मत का कार्य उनके द्वारा कराया जायेगा। गन्ना विकास परिषद् की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण किसी अन्य विभाग से कराया जाय तो उसमें गन्ना विभाग को आपत्ति नहीं होगी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-2

335/2007	5-12-07 : अतारां0-95 डा0 अजय तोमर- जनपद बागपत में डी0वाई0 रोड (विराल) से छपरौली वाया सूप रढ़ोरा मार्ग के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया जाना।	भुगतान किया जायेगा।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में कुल 381 किसानों को 8.11.92 हे0 भूमि के लिये रु0 76.426 लाख का मुआवजा दिया जा चुका है। तथा शेष 1.3378 हे0 भूमि के लिये रु0 15.504 लाख के मुआवजे के वितरण हेतु कृषकों से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। चूंकि मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि जब भी कोई लैण्ड लूसर उस प्रतिकर की मांग करे तो उन्हें बिना किसी देरी के साथ उपलब्ध करा दिया जाय।

लोक निर्माण-2

65/2010	3-2-2010 : अतारां0-35 डा0 रफी अहमद उस्मानी- लखीमपुर खीरी में भरा विजुआ लखीमपुर राज्य मार्गों पर ग्राम पडरियाताल में सड़क के दोनों तरफ की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में।	प्रयास किया जा रहा है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अस्थाई अतिक्रमण हटा दिये गये हैं। लेकिन 22 स्थाई अतिक्रमणों में से 14 हटाये गये तथा शेष मामले मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय के निर्णय के बाद आगे की कार्यवाही सम्भव होगी। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लोक निर्माण-2	
71/2010	3-2-2010 : अतारां0-134 डा0 अजय तोमर- जनपद बागपत के डी0वाई0 रोड से छपरौली वाया सूर्य रढ़ौहा मार्ग से अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस आश्वासन की प्रकृति का0 सं0-335/2007 एक ही प्रकार का है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-14	
142/2010	10-2-2010 : अतारां0-59 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में पूर्वांचल विकास जिलांश के अन्तर्गत मनकापुर के विकास हेतु प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों पर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	परीक्षणाधीन है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2007-08 में प्राप्त 6 प्रस्तावों में से 5 प्रस्तावों पर आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के दि0 8-1-2010 पर स्वीकृत प्राप्त हुई थी। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि वर्ष 2014-15 में वर्ष 2007-08 के एक प्रस्ताव तैयार कर बनवा दिया जायेगा। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		लोक निर्माण-1	
149/2010	10-2-2010 : अतारां0-97 श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी- जनपद हरदोई के ब्लाक मल्लावां में ग्राम बरहुआ मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम बरहुआ के माार्ग की मरम्मत हेतु दि0 4-1-13 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कार्य पूर्ण हो गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-7	
155/2010	10-2-2010 : अतारां0-131 श्री प्रदीप माथुर- द्वितीय सत्र, 2008 के पहले बुधवाहर के अता0प्र0सं0-80 से 105 के उत्तर के सम्बन्ध में जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही।	आख्या परीक्षणाधीन है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मेसर्स कम्प्यूटर इन लखनऊ के वर्ष 2006-07 के प्राप्त शिकायती-पत्र पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दि0 16-1-13 को आदेश पारित कर रु0 40,000/- कर आरोपित किया गया जिसमें प्रथम अपील में पारित निर्णय दि0 10-4-14 में कर निर्धारण आदेश दि0 16-1-13 को समाप्त कर वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रेषित किया गया है। मेसर्स कम्प्यूटर इन पर वर्ष 2006-07 में पाप्त सूचना का सत्यापन न कराये जाने पर एक पक्षीय निस्तारण करते हुए रु0 4.50 लाख का कर आरोपित किया गया। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लोक निर्माण	
204/2010	15-2-2010 : नियम-51 श्री ओम प्रकाश सिंह- जनपद मीरजापुर स्थित जरगो नदी, गडई नदी एवं कलकलिया नाला पर निर्माणाधीन अधूरे पुलों का कार्य पूर्ण कराया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जरगो नदी पर सेतु का कार्य मार्च, 2012 में पूर्ण कर लिया गया है। गडई नदी पर बियरही के पुल निर्माण का कार्य सेतु निगम द्वारा अप्रैल, 2011 में पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार कलकलिया नदी पर रपटा पुल एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य जून, 2011 में पूर्ण हो गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण (ग्राम्य विकास-7 से 29-4-2011)	
239/2010	9-8-2010 : अतारां0-144 श्री राजेश यादव- जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 क्षेत्र तिलहर में ग्राम जैतीपुर ब्लाक से ग्रामीण बैंक जैतीपुर तक नाली का निर्माण कराया जाना।	निर्माण करा दिया जायेगा।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 700 मीटर नाली के निर्माण में से 600 मीटर नाली का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य 31-10-2014 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-1

9/2011	9-2-2011 : अतारां0-97 डा0 अनिल चौधरी- जनपद आगरा के अम्बेडकरनगर के बंधा के पास गवन्स नाले पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण/मरम्मत।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पुल का निर्माण कार्य दि0 31-3-2011 को पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में पुल पर से यातायात चालू है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण विभाग

145/2011	8-8-2011 : नियम-56 श्री प्रदीप माथुर- जनपद मथुरा में सी0एस0यू0पी0 परियोजना अन्तर्गत बन रहे मकानों में राजकीय निर्माण निगम द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में।		दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 3 दोषी अभियन्ताओं में श्री सी0डी0 मित्तल, पी0डी0 से रु0 1,68,063.00 की वसूली एवं पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती 5 वर्ष तक अस्थाई रूप से किये जाने के दण्ड को समाप्त कर दी गई। श्री भरत कुमार त्रिपाठी, उप अभियन्ता (सिं0) के विरुद्ध आरोप सिद्ध न पाये जाने पर का0-ज्ञाप दि0 2-12-13 द्वारा जांच समाप्त कर दी गई। श्री आर0 के0 गुप्ता, सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिं0) की जांच आख्या का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि 3 महीने की अवधि में सम्पूर्ण कार्यवाही करके समिति को अवगत करायें।

1	2	3	4
		लोक निर्माण-10	
166/2011	10-8-2011 : अतारां0-83 श्री लाल जी यादव- जनपद सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ तहसील के अशोकवा होरिल्लापुर धार पर अधूरे पुल का पूर्ण कराना।	पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद सिद्धार्थनगर में यठवा शोहरतगढ़ मार्ग पर बूढ़ी राप्ती नदी होरिल्लापुर घाट पर मुख्य सेतु एवं पहुंच मार्ग का कार्य अप्रैल, 2012 में पूर्ण कर लिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-9	
170/2011	10-8-2011 : अतारां0-183 श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी- जनपद हरदोई विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम पंचायत पिपरावां सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने पर विचार।	जी हां।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सम्पर्क मार्ग का कार्य लेपन स्तर तक जनवरी, 2013 में पूर्ण हो गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-14	
351/2012	5-12-2012 : अतारां0-87 श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के गांव लालपुर इमलिया से धाती नगला जिला हरदोई को जाने वाले क्षतिग्रस्त को ठीक कराने के सम्बन्ध में।	जिला योजना में स्वीकृत हुआ है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शा0 सं0-296आ0/23-14-2011 द्वारा रु0 72.79 लाख की गई थी। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष मार्ग का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक माह अप्रैल, 2013 में पूर्ण किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-1

2/2013	20-2-2013 : व्यवस्था का प्रश्न श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम अहमदपुर, निजमपुर, (मेजबान होटल के पास) रेती रोड तथा ग्राम हथौड़िया कुरसण्डा टिकरा ददिउर तिलउक मार्ग को गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में अता0प्र0सं0-65 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना का व्यवस्था का प्रश्न।	दिखवा लेंगे।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम अहमदनगर, नियाजपुर (मेजबान होटल) के पास से रेती रोड तक का मार्ग, ग्राम हथौड़िया को जाने वाला मार्ग, टिकरा, कुरसण्डा को जाने वाला मार्ग तथा ग्राम तिउलक को जाने वाले मार्गों के मरम्मत की कार्यवाही हो गई है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि अहमदनगर, नियाजपुर जाने वाले मार्ग की तत्काल मरम्मत करा दी जाय साथ ही ददिउरा मार्ग से लेपन स्तर तक उसको भी ठीक करा दिया जाय। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-1

194/2013	20-3-2013 : अतारां0प्र0-96 श्री रामहेत भारती- सीतापुर में नवीन नगर से मदफर जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य प्रगति पर है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग का नवीनीकरण का कार्य माह सितम्बर/अक्टूबर, 2014 में पूर्ण करा दिया गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लोक निर्माण-14	
245/2013	18-9-2013 : अतारां0-82 श्री बाला प्रसाद अवस्थी- जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।	पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	दि0 28-10-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पर्क मार्गों का निर्माण मार्च, 2014 में पूर्ण कराया जा चुका है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-2	
785/99 1044/99 1048/99 1069/99	15-3-99 : अतारां0-131 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, गृह (पुलिस)-2 22-3-99 : अतारां0-27 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, गृह (पुलिस)- 22-3-99 : अतारां0-35 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, गृह (पुलिस)-2 22-3-99 : अतारां0-134 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-8-19 एवं 21-12-98 तथा 7-1-97 पर जांच एवं कार्यवाही।	भेज दिये गये हैं।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शा0 सं0-1780/छः पु0सं0-2-13-505 (5)/99, दि0 9-9-13 द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता को चेतावनी प्रदान कर दी गई है। इस आश्वासन की प्रकृति व आ0सं0-1044/99, 1048/99 एवं 1069/99 एक ही प्रकार का है। अतः इस आश्वासन को समिति ने ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-14

1409/99	3-1-2000 : अतारां0-172 श्री नरेन्द्र सिंह- श्री त्रिवेणी चौहान निवासी परसौरा देवगांव, आजमगढ़ की हुई हत्या की उच्च स्तरीय जांच।	आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री अनिल दास, डी0आई0जी0 के रिपोर्ट के अनुसार एस0आई0 थाने पर नहीं थे, और दोषी कान्स्टेबिलों श्री राम इकबाल व श्री राजेश पाण्डे को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-6

145/2000	3-4-2000 : अतारां0-79 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- ग्राम पंचायत निधि पुरवा (बहराइच) के नई बस्ती ग्राम के खतौनी सं0-380 मि0/202 हे0 के खातेदारों के नाम खारिज कर नवनिर्मित कोतवाली मूर्तिहा के भवन को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	जांच आख्या प्रतीक्षित है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पुलिस अधीक्षक, बहराइच से जांच के अनुसार थाना कोतवाली ग्राम समाज की जमीन पर ही बना हुआ है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-4	
187/2000	6-4-2000 : नियम-51 श्री चन्द्र पाल सिंह यादव- जिला प्रशासन झांसी द्वारा समाजवादी पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न एवं श्री मातादीन जतारिया के साथ घटित घटना की जांच।	परीक्षण करवा लेंगे।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मातादीन जतारिया तथा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जाम लगाया गया तथा मऊरानीपुर के 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जिससे उन पर एन0एस0ए0 की कार्यवाही व मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-4	
229/2000	10-4-2000 : अतारां0-2 श्री अजय कुमार पोइया- मु0अ0सं0-411/99 थाना वजीरगंज, लखनऊ की जांच कराने के सम्बन्ध में।	विवेचना प्रचलित है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि साक्ष्यों से ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया कि जहरीली शराब वंशीधर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाकर दी गई। साक्ष्य के अभाव में श्री वंशीधर के खिलाफ कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं था। अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-1	
234/2000	10-4-2000 : अतारां0-32 श्री समरपाल सिंह- थानाध्यक्ष कैसरगंज, बहराइच के विरुद्ध जांच की कार्यवाही।	जांच की कार्यवाही की जा रही है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री हरीशंकर तिवारी व आरक्षी श्री उदयनाथ मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए। जिससे पुलिस अधीक्षक, बहराइच द्वारा मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
238/2000	10-4-2000 : अतारां0-67 श्री गजेन्द्र कुमार सिंह मुन्ना- बरेली के गांव नगला चम्पतपुर निवासी ख्याली राम की दिनांक 5-12-99 का हवालात में हुई मृत्यु प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार मृतक ख्यालीराम के वारिसानों को 8-4-2005 को 50 हजार रुपये की धनराशि दी गई। दोषी श्री हरिज्ञान सिंह, श्री कृष्णपाल को निलम्बित एवं प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। श्री सुरेश कुमार सक्सेना तथा श्री राम भरोसे लाल को बिना वेतन बहाल एवं प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई। श्री नवनीत गोयल को दण्ड के रूप में एक निन्दात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-12	
240/2000	10-4-2000 : अतारां0-88 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-290/20 ग्राम टाटराबाद थाना जैतीपुर, बरेली में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-4-98 पर कार्यवाही।	कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बरेली पुलिस द्वारा मनोहर लाल आदि को हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस द्वारा दबिश दी गई लेकिन उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की गई। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-14	
246/2000	10-4-2000 : अतारां0-122 श्री नरेन्द्र सिंह- आजमगढ़ के ग्राम व थाना मेहनाजपुर में दिनांक 9/10 फरवरी, 2000 को दो सर्राफ व्यापारी के यहां हुई चोरी की घटना को कम दर्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें किसी पुलिस कर्मी का दोष नहीं पाया गया। तीन स्थानों पर चोरी की एफ0आई0आर0 संयुक्त रूप से ही दी गई है। इसलिये संयुक्त रूप से दर्ज हुई। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-4	
290/2000	24-4-2000 : अतारां0-22 श्री आर0के0 सिंह पटेल- थानाध्यक्ष मानिकपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कमल सिंह यादव, तत्कालीन उप निरीक्षक, ना0पु0 के स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त उन्हें 25-4-2000 को ''परिनिन्दा प्रविष्टि'' प्रदान कर दण्डित किया गया तथा चरित्र पंजिका में उक्त प्रविष्टि अंकित कर दी गई। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-4	
291/2000	24-4-2000 : अतारां0-23 श्री अजय कुमार पोइया- ग्राम समाधा, थाना असोहा (उन्नाव) निवासी श्री ईश्वरदीन पुत्र बंशी पासी द्वारा दर्ज कराये गये अपराध सं0-18/2000 धारा-324/504 से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही।	प्रयास किया जा रहा है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अभियुक्तगण दि0 1-5-2000 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेज दिये गये थे। मा0 न्यायालय स्पेशल जज एस0सी0/एस0टी0 एक्ट द्वारा 22-11-2002 को नन्हके और लाखन को दोषमुक्त कर दिया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप कर दिया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-12	
292/2000	24-4-2000 : अतारां0-28 श्री राम औतार मिश्रा- अपराध सं0-17/2000 धारा-308 भा0द0सं0 थाना मदनापुर की जांच।	प्रकरण में जांच प्रचलित है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि थाने पर दी गई सूचना के आधार पर अपराध पंजीकृत किया और विवेचना के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया। मा0 न्यायालय एस0टी0 सी0 तृतीय, जनपद शाहजहांपुर द्वारा तीनों अभियुक्त दोषमुक्त किये जा चुके हैं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)	
301/2000	24-4-2000 : नियम-56 श्री बाबूराम यादव- मेडिकल कालेज के डा0 रविदेव पर हुए प्राणघातक हमला करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा डा0 देव को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एफ0आई0आर0 में नामजद डाक्टर्स के विरुद्ध विवेचना से अपराध सिद्ध होने पर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा सुलह समझौते के आधार पर इन लोगों को दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)

331/2000	25-4-2000 : नियम-300 श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह- मा0 सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की पुनः पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न की जांच के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विवेचना के दौरान घटना सही नहीं पायी गयी। मा0 सदस्य को सुरक्षा पहले से मिली हुई है आश्वासन के बिन्दु पूर्ण मानते हुए समिति ने इसे पूर्ण मान लिया।

गृह (पुलिस)

389/2000	27-4-2000 : नियम-51 श्री प्रमोद तिवारी- ग्राम विजयीमऊ निवासी कल्लू उर्फ रामचरण की दबंगों द्वारा दिनांक 13-3-2000 को पिटाई एवं उन्हें गायब किये जाने के सम्बन्ध में जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की आख्या के अनुसार मा0 अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान सम्बन्धित गवाहों के पक्ष डोही होने तथा अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल न होने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को 13-5-2008 को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-14	
433/2000	1-5-2000 : अतारां0-1 श्री धर्मज्ञ मिश्र- श्री रामानन्द सिंह की पुत्री गीता को ससुराल वालों द्वारा जहर देकर मार दिये जाने के प्रकरण पर जांच।	जांच की जा रही है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मु0अ0सं0-22/2000 में विवेचना से अभियोग के अपराध प्रमाणित न पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में लगा दी गई है। जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
434/2000	1-5-2000 : अतारां0-8 श्री अजय कुमार पोइया- मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा एवं कच्चे तेल का अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक के पत्र-सी0एम0/वि0को0/एम/313000/मथुरा/2000, दिनांक 15-2-2000 पर जांच की कार्यवाही।	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि संदर्भित प्रार्थना-पत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया है बल्कि उसके हस्ताक्षर ब्लाक अध्यक्ष, फरह, जनपद मथुरा ने बनवाकर संदर्भित प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

644/2001	14-5-01 : अतारां0-2 श्री राम औतार शाक्य- जनपद मैनपुरी थाना कोतवाली में दर्ज अपराध सं0-250/2000 धारा-364 में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने तथा जांच की कार्यवाही के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अपराध सं0-250/2000 धारा-364 में बनाये गये आरोपी श्री गिरीश यादव, बब्लू यादव व गुलफान यादव के विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट 21-11-2001 को प्रेषित कर दी गई है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

649/2001	14-5-01 : अतारां0-32 श्री राम औतार शाक्य- जनपद मैनपुरी थाना बेवर में दर्ज अपराध सं0-519/2000 के मामले पर मृतक की विधवा द्वारा नामित व्यक्तियों को दण्डित करने तथा इस मामले की जांच करने की मांग।	संकलन किया जा रहा है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विवेचना में नामित अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गई बल्कि वादी मुकदमा प्रेमपाल सिंह व उसके साले मुरारी सिंह द्वारा हत्या किया जाना प्रकाश में आया। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-10	
153/2002	19-8-02 : अतारां0-92 श्री शाहिद मंजूर- निरस्त कर दी गई लिखित परीक्षा को पुनः आयोजित करके सब इन्सपेक्टर की भर्ती कराया जाना।	विचाराधीन है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रश्न-पत्र आउट होने के कारण परीक्षा निरस्त हो गई थी। दि0 25 मई, 2003 को पुनः परीक्षा हुई तथा दि0 3-9-2005 को रिजल्ट आया। सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके कार्य कर रहे हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
658/2005	2-01-06 : अतारां0-71 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- श्री साधूराम गंगवार निवासी लखोआ थाना तिलहर शाहजहांपुर के अपहरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृत की बरामदगी किया जाना।	प्रयास जारी है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विवेचना में अपहृत श्री साधू राम गंगवार का पता नहीं लगने पर दि0 10-5-08 को विवेचना समाप्त की गई और अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-	
664/2005	2-01-06 : नियम-51 श्री हुकुम सिंह- श्री जगमोहन खडगवंशी ओ0बी0सी0 नेता की हत्या के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करके कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने 30-4-2008 को जो निर्णय सुनाया, उसमें सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-6

192/2006	11-12-2006 : अतारां0-89 श्री शरदवीर सिंह- जनपद उन्नाव में 1-7-05 से 31-1-06 तक पुलिस उप निरीक्षक तथा आरक्षी सेवानिवृत्त कर्मियों के अवशेष देयों का भुगतान कराया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने अवगत कराया कि श्री कौशल किशोर मिश्रा व श्री धन्जू यादव के जी0पी0एफ0 का भुगतान कर दिया गया है। श्री मिश्रा की वेतन विसंगतियों का निराकरण करते हुए राशिकरण का भुगतान व पेंशन अनुमन्य की जा चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

88/2009	4-4-08 : अतारां0-109 श्री मदन भैया- आगरा शहर के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिनांक 4-4-08 को टेण्डर के दौरान खिलाड़ी मानवेन्द्र सिंह की हत्या के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना।	विचाराधीन है।	दि0 9-10-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि तत्कालीन क्रीड़ाधिकारी श्री महावीर सिंह को खेल निदेशालय के आदेश दि0 30-7-2010 द्वारा परिनिन्दित किया गया। अभियोग मर्डर से सम्बन्धित है, वह न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		आवास एवं शहरी नियोजन-2	
391/2004	08-11-04 : अतारां0-46 डा0 पूर्णमासी देहाती विधान सभा के द्वितीय सत्र 2004 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0-9 के संदर्भ में जनपद लखनऊ के किसानों की अर्जित की गयी भूमि के मुआवजे की धनराशि की दरें निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-12-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 85-90 प्रतिशत किसानों ने जमीन पर कब्जा कर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। एक फार्मल डिसीजन हाउसिंग बोर्ड की बैठक में लाकर इसको समाप्त कर देंगे। डिनोटीफाइड करके खत्म कर देंगे तथा विदड्रा कर लेंगे। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन (लोक निर्माण से 15-05-2013)	
875/2005	28-03-06 : नियम-56 श्री विद्यासागर गुप्ता- लखनऊ में हुसैनगंज से सिकन्दरबाग तक फ्लाई ओवर ब्रिज बनवाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-12-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विधान सभा के सामने वाली रोड पर नीचे से मेट्रो जा रही है। इसलिये हुसैनगंज से सिकन्दराबाद तक फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने का औचित्य नहीं रह जाता है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		आवास एवं शहरी नियोजन-1	
61/2008	20-02-08 : अतारां0-13 श्री लालजी यादव- शारदा नगर योजना के रतन खण्ड लखनऊ में वर्ष 2006 व 2007 में कराए वृक्षारोपण में मानक से कम पौधे जीवित रहने की जांच कराया जाना।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 30-12-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी 4 अभियन्ताओं के विरुद्ध 2 वार्षिक वेतन वृद्धि 2 वर्ष के लिए अस्थाई रूप से रोकने तथा सत्यनिष्ठा अप्रमाणित करते हुए भर्त्सना प्रविष्टि दिये जाने का दण्ड दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन-3	
44/2009	18-02-09 : अतारां0-9 श्री इमरान मसूद- जनपद सहारनपुर में गांव मवी खुर्द व सैदपुर में विकास प्राधिकरण सहारनपुर आवासीय परियोजना का प्रस्ताव।	जी हां।	दि0 30-12-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्तर पर प्रचलित है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास विभाग	
331/2012	29-11-2012 : नियम-51 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से नक्शा स्वीकृत करते समय 15 प्रतिशत पार्क शुल्क की बैंक गारण्टी मांगे जाने के सम्बन्ध में।	यथोचित कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-12-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस बात के निर्देश दे दिये गये हैं कि वह किसी प्रकार की बैंक गारण्टी अथवा पार्क शुल्क मानचित्र स्वीकार करने के सम्बन्ध में नहीं लेंगे। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		आवास एवं शहरी नियोजन-6	
358/2012	05-12-2012 : अतारां0-115 श्री सुरेश कुमार खन्ना- गोमती नगर विस्तार योजना लखनऊ में रिक्त प्लाटों की जानकारी तथा रिक्त प्लाटों के आवंटन की मांग।	आवंटित भू-खण्ड विवाद से प्रभावित है।	दि0 30-12-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भू-खण्ड के विक्रय मूल्य की समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है परन्तु अब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पायी है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी विवाद न हो तो तुरन्त रजिस्ट्री कराकर समिति को अवगत करायें।
		संसदीय कार्य	
902/90	11-07-1990 : कटौती प्रस्ताव श्री अरुण कुमार मुन्ना- मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 13-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शिष्टाचार से सम्बन्धित मा0 समिति के जो निर्देश हैं, को पर्याप्त संख्या में छपवाकर उपलब्ध करा देंगे। वारंट आफ प्रेसीडेंस के अनुसार कलेक्ट्रेट में डिस्प्ले कराने व प्रोटोकाल का पालन करने का पार्ट पी0सी0एल0 ट्रेनिंग में जोड़ने का सुझाव का डायरेक्शन दे देंगे। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

संसदीय कार्य

450/2001	04-05-2001 : नियम-300 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई- नियम-51 में मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत सूचनाओं के वक्तव्य की प्रतियां एजेन्डे के साथ वितरित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 18-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि यह संसदीय विभाग से सम्बन्धित है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि प्रमुख सचिव संसदीय कार्य मा0 अध्यक्ष, विधान सभा से अनुरोध करें कि सरकार द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य को उपवेशन के पूर्व एजेन्डे के साथ वितरित कर दिया जाय तो मा0 सदस्यों को अनुपूरक करने में आसानी होगी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

संसदीय कार्य

767/2001	15-05-2001 : नियम-300 काम रोको प्रस्ताव में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की सूचनाओं को सदन में उठाने में विभेद होने के कारणों को देखते हुए नियम से संशोधन की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 18-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि यह आश्वासन काम रोको प्रस्ताव के नियम में संशोधन से सम्बन्धित है। यह नियम समिति के माध्यम से तय होगा। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		संसदीय कार्य	
1184/2001	25-05-2001 : नियम-300 मा0 मंत्रियों द्वारा नीतिगत घोषणायें अधिवेशन के दौरान सदन में ही किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 18-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों से संसदीय कार्य विभाग के अर्द्ध शा0 पत्र सं0 724/90-स-1-49स/2004 दिनांक 28 जून, 2013 द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का अनुरोध कर लिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		संसदीय कार्य	
127/2004	20-02-2004 : नियम-300 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- सदन के चलते समय मंत्रि-परिषद् के नीति सम्बन्धी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन न किए जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 18-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सदन के चलते मंत्रि परिषद के नीति सम्बन्धी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्परी और नियम के विरुद्ध है। अतः समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि प्रमुख सचिव संसदीय कार्य मा0 अध्यक्ष से यह अनुरोध कर ले कि अगर कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाय।

संसदीय कार्य विभाग

19/2007	28-06-2007 : नियम-300 श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल- पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 18-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि की कार्यवाही कर दी गयी है। अब कम से कम पेंशन 8 हजार स्वीकृत होगी। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		संसदीय कार्य विभाग	
291/2008	19-08-2008 : नियम-301 (मा0 अध्यक्ष के निर्देश) डा0 राजेन्द्र सिंह- नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर समय से उपलब्ध कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 18-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सूचना के विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी अधिकारी को दण्डित करते हैं और अवगत कराते हैं जिसको सदन के पटल पर रखा जाता है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		संसदीय कार्य विभाग	
130/2010	09-02-2010 : नियम-300 श्री श्यामदेव राय चौधरी- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-51 एवं 56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं0 16(1) तथा 21(1) के अनुसार शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना एक माह के अन्दर न दिये जाने के सम्बन्ध में। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 18-07-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नियम 51 व 56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना एक माह के अन्दर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासनादेश माह फरवरी, 2013 में जारी किया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण विभाग (पिछड़ा वर्ग कल्याण-1 से)	
309/1985	02-08-1985 : अल्पसू0तारां0-1 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री जमुना प्रसाद ओझा- देवरिया जनपद के पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की जांच।	विचाराधीन है।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी श्री हरीराम राज तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा श्री दीनानाथ, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक दोनों को दण्डित किया जा चुका है लेकिन कोई रिकार्ड नहीं मिल रहा है। चूंकि दोनो इस दुनिया में नहीं हैं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण विभाग-3	
327/94	31-03-1994 : अतारां0-1 श्री शिवराम सिंह कुशवाहा- हरिजन कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में खराब ट्यूबवेल चालू करना।	जी हां।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 6 नलकूपों का निर्माण कराकर उन्हें चालू कराया जा चुका है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण	
169/95	27-07-1995 : अतारां0-38 श्री अफजाल अंसारी- सहायक विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु ली गयी परीक्षा शुल्क को वापस करना तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	निर्णय लिया जायेगा।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जो विज्ञापन निकाला गया था इसमें किसी भी परिस्थिति में जो उनसे शुल्क लिया जा रहा है वह रिफण्ड होगा या नहीं इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन ड्राप किया कि परीक्षार्थियों को पैसा वापस दिलाने के सम्बन्ध में एक पब्लिक नोटिस भी जारी करे तथा दैनिक समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित कराया जाय।

		समाज कल्याण (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ से)	
1154/99	24-03-1999 : अतारां0-6 श्री श्याम प्रकाश- उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सभी संवर्गों में रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एक पद कम्पनी सचिव का है जिस पर अंशकालिक कम्पनी सचिव कार्यरत है। शेष 8 पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
218/2004	28-07-2004 : अतारां0-6 श्री आर0पी0एन0 सिंह- समाज कल्याण विभाग की कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम में एक सौ तिरासी करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता की जांच कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विभागीय जांच के आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। सतर्कता विभाग ने इस आधार पर तथ्यों को वापस लौटा दिया। उच्च न्यायालय का निर्णय भी इसी प्रकार का है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
198/2005	02-03-2005 : अतारां0-31 डा0 विनोद तिवारी- वर्ष 2004-05 हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय लखनऊ में विद्यालयों को अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाना।	विचाराधीन है।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री काजी हशमत उल्लाह के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है। श्री संजय कुमार बनौधा को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ-साथ 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से रोकने का दंड दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-2	
350/2005	16-03-2005 : अतारां0-42 श्री गंगा बख्श सिंह- उ0प्र0 अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय एसोसियेशन की 16 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही।	परीक्षणाधीन है।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 16 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट की है। यह विशेष रूप से एडेड प्राथमिक विद्यालय होते हैं। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-1	
355/2005	16-03-2005 : अतारां0-58 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार संयुक्त परीक्षा परिषद द्वारा चयन किया जाना।	विचाराधीन है।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिस फंडिंग से इसकी स्थापना हुई है उसमें केवल अनुसूचित जाति के लिये ही प्राथमिकता की गयी है इसलिए आरक्षण व्यवस्था के अनुसार इसे संचालित नहीं किया जा सकता है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		समाज कल्याण-3	
407/2005	23-03-2005 : अतारां0-23 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ में स्थायी रूप से निवास कर रहे गोंड, धरिया, नायक, ओझा आदि को अनुसूचित जाति/जनजाति की मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 29-10-2004 पर कार्यवाही किया जाना।	निर्देशित किया गया है।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद प्रतापगढ़ में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा स्थायी रूप से निवास नहीं करती है इसलिये इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण देना सम्भव नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
444/2005	20-07-2005 : अतारां0-33 श्री अनिल कुमार- जनपद सीतापुर में मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज के लिये वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति वितरण की जांच किया जाना।	जांच के आदेश दे दिये गये हैं।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद सीतापुर में वर्ष 2004-05 में 32 मान्यता प्राप्त अनुदानित इण्टर कालेजों में रु0 34.45 लाख तथा 50 मान्यता प्राप्त अनुदानित हाईस्कूल में रु0 45.60 लाख की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-3	
445/2005	20-07-2005 : अतारां0-34 श्री अनिल कुमार- जनपद सीतापुर में जूनियर हाई स्कूल के अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की जांच किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री पी0एन0 पाण्डेय को 2 वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से रोकते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि देकर कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। श्री महावीर प्रसाद को कठोर चेतावनी देते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
454/2005	20-07-2005 : अतारां0-72 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में वर्ष 2000-01 में सांसद निधि से लगाये गये हैण्डपम्पों की गुणवत्ता की जांच तकनीकी समिति से कराया जाना।	जांच निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नौ खराब हैण्डपम्प को सम्बन्धित ठेकेदार से ठीक करा दिया गया है। जिम्मेदार अभियन्ता श्री वी0एन0 उपाध्याय को प्रतिकूल प्रविष्टि, श्री कालिका प्रसाद को कठोर चेतावनी दे दी गयी तथा एक अन्य उत्तरदायी श्री रमेश चन्द्र वर्मा सेवा से 2005 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

समाज कल्याण-3

458/2005	20-07-2005 : अतारां0-90 श्री प्रदीप जैन आदित्य- जनपद झांसी में वित्तीय वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति का वितरण हो चुका है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

समाज कल्याण-2

592/2005	23-11-2005 : अतारां0-13 श्री मदन चौहान- अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला भिलावां लखनऊ के संचालन का अधिकार प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही विचाराधीन है।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिला समाज अधिकारी इस प्रकरण में दोषी हैं परन्तु वह 2001 में रिटायर हो चुके हैं। इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। वर्तमान में प्रक्रियानुसार भुगतान किया जा रहा है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-3	
596/2005	23-11-2005 : अतारां0-26 श्री चौ0 महेन्द्र सिंह- जनपद अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 2003-04 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान न हो पाने के कारणों की जांच।	आदेश दे दिये गये हैं।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि 119.20 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी और उसका पूरा वितरण हो चुका है। 2004-05 की अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क की प्रतिपूर्ति अब कोई देयता शेष नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-1	
28/2008	14-02-2008 : अतारां0-80 श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी- जनपद एटा, बलरामपुर, कानपुर देहात, हरदोई तथा लखीमपुर में नियमित समाज कल्याण अधिकारी तैनात किया जाना।	जी हां।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पांच जनपदों में नियमित अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		समाज कल्याण-1	
29/2008	14-02-2008 : अतारां0-82 श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी- श्री एम0एल0 कनौजिया प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई की तैनाती मूल जनपद से हटाकर अन्यत्र किया जाना।	जी हां।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री मुन्नेलाल कनौजिया, सहायक विकास अधिकारी को जनपद हरदोई से जिला समाज कल्याण अधिकारी का प्रभार समाप्त करते हुए उन्हें मूल पद पर वापस कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारापरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
173/2011	11-08-2011 : अतारां0-17 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- समाज कल्याण अधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति धनराशि में की गयी अनियमितता की जांच।	निर्देशित किया गया है।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच आख्या दिनांक 04-08-2011 में प्रधानाचार्य संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक, जगदीशपुर, अमेठी के विरुद्ध कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
21/2012	31-05-2012 : अतारां0-39 श्री सुरेश राणा- जनपद प्रबुद्धनगर में अनुसूचित जाति की विवाह हेतु चयनित लाभार्थियों को धन का आवंटन।	कर दिया जायेगा।	दिनांक 08-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 25 मामलों में से 21 पात्र आवेदन-पत्रों को स्वीकृत करते हुए लाभार्थियों को धनराशि आवंटित कर दी गयी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा-18	
330/95	07-08-1995 : अतारां0-101 श्री शारदानन्द अंचल- शिक्षा विभाग में निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति किया जाना।	जी हां।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निदेशक के 5, अपर निदेशक के 7, संयुक्त निदेशक के 2 तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समकक्ष स्तर के 35 रिक्त पदों को भरा जा चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-2	
332/95	07-08-1995 : अतारां0-114 श्री राम विशुन आजाद- राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवा जनपद गोण्डा में शिक्षिकाओं के रिक्त पदों को भरा जाना।	प्रयास जारी है।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एल0टी0/सी0टी0 ग्रेड के 13 पदों के सापेक्ष सभी पदों की पूर्ति की जा चुकी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-2

64/97	22-07-1997 : अतारां0-8 डा0 वकार अहमद शाह एवं श्री रामतेज यादव- राजकीय मा0 विद्यालयों में बी0टी0सी0 वेतनमान में कार्यरत शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में जिला मंत्री राजकीय शिक्षक संघ बहराइच का दिनांक 08-07-96 का पत्र।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री बी0एस0 श्रीवास्तव, जिला मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ, बहराइच के पत्र दिनांक 08-07-1996 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन करने हेतु कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त हो गयी है। अग्रेतर उच्चस्तरीय अनुमोदन प्राप्त करके नियमावली में संशोधन के उपरान्त पदोन्नति प्रदान किये जाने के अवसर उपलब्ध हो जायेंगे। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-9

174/97	29-07-1997 : अतारां0-111 श्री तेजभान सिंह- श्री आशलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपरपुर सुल्तानपुर के अनियमित वेतन भुगतान की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर उठाई गई आपत्तियों के क्रमांक 6 को छोड़कर शेष आपत्तियों का निराकरण कराया जा चुका है। क्रमांक 6 की जांच की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा-16	
377/97	12-08-1997 : अतारां0-31 श्री राजधारी- बलिया जनपद में अवैध शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जांच।	जांच प्रचलित है।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यलय बलिया में शरारती तत्वों ने अटैक किया तथा अपराध संख्या 90/99 धारा 342/506 आई0पी0सी0 बनाम शिक्षा माफिया पता अज्ञात दिनांक 13-03-1999 को पंजीकृत हुआ था। दिनांक 01-04-1999 को एफ0आर0 लगा दी गयी। इस प्रकार आश्वासन का बिन्दु पूर्ण हो गया। अतः समिति ने इस आश्वासन को पूर्ण मान लिया।
		माध्यमिक शिक्षा-11	
336/98	30-06-1998 : अतारां0-169 श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा- वर्ष 1997-97 का बी0टी0सी0 प्रशिक्षण सत्र निरस्त होने के विरुद्ध दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री राजेश्वर लाल श्रीवास्तव व श्री गोपाल प्रसाद शर्मा की जांच में प्रथम दृष्टया कोई वित्तीय अनियमितता साबित नहीं होती है। श्री शर्मा का निधन हो चुका है तथा श्री राजेश्वर लाल को 11 वर्ष रिटायर हुए हो गये हैं। इसमें अब कार्यवाही भी सम्भव नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		माध्यमिक शिक्षा-1	
593/98	14-07-1998 : तारां0-3 श्री श्यामदेव राय चौधरी- अशासकीय तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरा जाना।	भरा जायेगा।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 1998 में जितने पद रिक्त थे, उनको भरा जा चुका है। पदों को भरा जाना सतत् प्रक्रिया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-10	
614/98	14-07-1998 : अतारां0-135 श्री उबैदुर्रहमान- जनपद बलरामपुर के उतरौला में भवन विहीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सुचारु रूप से चलाये जाने पर विचार।	विचार किया जा रहा है।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भूमि ट्रान्सफर हो गयी है, अब यह विद्यालय वहां पर संचालित है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-1	
781/98	21-07-1998 : अतारां0-67 श्री अफजाल अहमद- राजकीय कन्या इ0का0 जौनपुर में महिला प्रधानाचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	कर दी जायेगी।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्रीमती क्षमता की तैनाती राजकीय कन्या इण्टर कालेज, जौनपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर हो गयी है और उनके द्वारा दिनांक 05-01-2001 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा-1	
802/98	21-07-1998 : अतारां0-160 श्री छब्बू पटेल- राजकीय राधा किशोरी क0इ0का0, रामनगर, वाराणसी में प्रधानाचार्या की नियुक्ति।	नियुक्ति कर दी जायेगी।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शासन के आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2001 के द्वारा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की तैनाती प्रधानाचार्य के पद पर की गयी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-2	
105/99	16-02-1999 : तारां0-13 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- सी0टी0 संवर्ग के मृत घोषित हो जाने के फलस्वरूप बी0टी0सी0 ग्रेड के शिक्षकों को एल0टी0 ग्रेड में 5 प्रतिशत पदोन्नति देने के सम्बन्ध में राजाज्ञा जारी किया जाना।	विचाराधीन है।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सी0टी0 ग्रेड के शिक्षकों को एल0टी0 ग्रेड में 5 प्रतिशत पदोन्नति के प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है। इसमें नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त हो गयी है और अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-2	
109/99	16-02-1999 : अतारां0-1 श्री छोटे लाल गंगवार- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अध्यापकों को सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में।	सूचना एकत्र की जा रही है।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा आयोग द्वारा स्नातक वेतनक्रम में चयनित सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-12

112/99	16-02-1999 : अतारां0-7 श्री श्रीराम यादव- इण्टर कालेज मीढेपार जौनपुर के प्रधानाचार्य श्री शीतला प्रसाद तिवारी के विरुद्ध छात्रवृत्ति का गबन एवं निधियों के गबन की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री शीतला प्रसाद तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गयी है। आपराधिक प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह कारागार भी हो आये हैं और वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से जमानत पर हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा

91ए/2003	04-12-2003 : नियम-56 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- जनपद अलीगढ़ के कालेजों में इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल के छात्रों का फार्म जमा कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2003 में अलीगढ़ में कर्फ्यू के दौरान विद्यालय बन्द रहे। कर्फ्यू हटने के बाद फार्म विलम्ब शुल्क के साथ जमा कराये गये और सभी छात्रों ने परीक्षा दी। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-10

21/2005	15-02-2005 : अतारां0-69 श्री जियाउद्दीन रिजवी- जनपद बलिया में इण्टर पास छात्राओं को कन्या विद्या धन योजना के तहत वर्ष 2004-05 में धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में कार्यवाही।	सत्यापन कराया जा रहा है।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 415 पात्र छात्राओं को कन्या विद्याधन योजनान्तर्गत अनुदान वितरित कर दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा-7	
309/2005	15-03-2005 : तारां0-5 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- सहायता प्राप्त मा0 विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति शैक्षिक योग्यता के अनुरूप शिक्षक पदों पर करने पर विचार किया जाना।	जी हां।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षकों के पदों पर पदोन्नति किया जाय। वर्तमान नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		शिक्षा-10	
280/2012	27-11-2012 : अतारां0-147 श्री अगयश राम सरन वर्मा- जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत बीसलपुर में राधारमन पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी दौलतपुर हीरा की भूमि हीरा राजकीय उच्चतर मा0 विद्यालय की स्थापना हेतु दान दी गयी भूमि पर विद्यालय स्थापित किये जाने की मांग।	प्रस्तावित की गयी है।	दिनांक 29-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि यह स्कूल किसी भी योजना में खुलवाना सम्भव नहीं है। चूंकि जमीन का स्वामित्व अभी तक देने वाले का है और जमीन सरकार को समर्पित नहीं की गयी है। यदि जमीन देनी हो तो कार्ययोजना बनने से पहले सरकार को जमीन समर्पित की जाय, तभी उस पर विचार किया जा सकता है। अतः समिति ने समुचित विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

राजस्व-8

310/94	24-03-1994 : अतारां0-108 श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी- जनपद सिद्धार्थनगर में चकबन्दी विभाग में फर्जी नियुक्ति।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि चकबन्दी विभाग में 2 लेखपाल तथा 1 चपरासी की फर्जी नियुक्ति हुई थी इसलिये उनको नौकरी से निकाल दिया गया है तथा दिये गये वेतन की वसूली कर ली गयी है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया मा0 न्यायालय में जो केस लम्बित है उसमें विशेष पैरवी करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

राजस्व-5

381/95	17-08-1995 : तारां0-4 श्री बदन सिंह- तहसीलों के सृजन के सम्बन्ध में जांच।	इसको दिखवा लिया जायेगा।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि तहसीलें जन सामान्य की आवश्यकताओं व प्रशासनिक दृष्टिकोण से सृजित की गयी थी। तहसीलों की अवस्थापना सम्बन्धी समग्र कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		राजस्व-5	
383/95	17-08-1995 : अतारां0-13 श्री सुन्दर लाल दीक्षित- जनपद लखनऊ के मौजा कनौसी में राजस्व विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी पाये गये तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए कार्यालय आदेश दिनांक 29-10-1996 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		राजस्व-8	
125/97	24-07-1997 : अतारां0-65 श्री अमरमणि त्रिपाठी- जनपद महराजगंज तहसील नौतनवा में स्थित सड़क पी0डब्लू0डी0 आराजी नं0 633 रकबा 3.39 एकड़ भूमि कुछ लोगों द्वारा अपने नाम करा लेने के सम्बन्ध में।	तत्परता से की जायेगी।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा इसमें आवश्यक कार्यवाही की गयी है लेकिन वर्तमान में यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		राजस्व-4	
223/97	31-07-1997 : तारां0-4 श्री राम औतार शाक्य- मैनपुरी में जिलाधिकारी कार्यालय के अधीन कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का भरा जाना।	नियुक्तियां की जायेंगी।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सीलिंग अवमुक्त जो भी भूमि थी वह भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित की जा चुकी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		राजस्व-9	
239/97	31-07-1997 : अतारां0-76 श्री महराज सिंह यादव- जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वर्ष 1993 में सेवानिवृत्त लेखपाल श्री नजीरउद्दीन का जी0पी0एफ0 तथा सामूहिक बीमा का भुगतान कराया जाना।	भुगतान कर दिया जायेगा।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री नजीरउद्दीन, सेवानिवृत्त लेखपाल को सामान्य भविष्य निधि तथा सामूहिक बीमा का भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		राजस्व-2	
240/97	31-07-1997 : अतारां0-94 श्री तेजभान सिंह- आलमगीर पुत्र दलमत ग्राम मिश्रोली गौरीगंज सुल्तानपुर के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम-मिश्रौली, तहसील-गौरीगंज स्थित गाटा सं0 254-ग/10 के सम्बन्ध में विचाराधीन निगरानी सं0 132/94-95 लाल शंकर बनाम ग्राम सभा जनपद सुल्तानपुर दिनांक 6 फरवरी, 2007 को अंतिम रूप से निस्तारित की जा चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		राजस्व-2	
243/97	31-07-1997 : अतारां0-99 श्री मित्रसेन यादव- ग्राम-सिघोना, तहसील-मिल्कीपुर, फैजाबाद में भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि का आवंटन।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों जिसमें 10 अनुसूचित जाति तथा 02 पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		राजस्व-14	
246/97	31-07-1997 : अतारां0-108 श्री मित्रसेन यादव- ग्राम मनौली, परगना व तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर स्थित ग्राम समाज की भूमि का आवंटन में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री नवल किशोर श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक, श्री जगन्नाथ सिंह, भूलेख अधिकारी एवं श्री राम आसरे, भूलेख लिपिक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किये गये थे लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा उन्हें दोषमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

राजस्व-9

57/98	29-01-1998 : अतारां0-1 श्री वेद प्रकाश- जनपद बस्ती के चारों तहसीलों में नियुक्त लेखपालों को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानांतरण किया जाना।	जी हां।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार कुल 142 लेखपालों का शत प्रतिशत स्थानान्तरण कर दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में शासनादेश दिनांक 21 जून 2004 के प्रस्तर-4 द्वारा कुल 131 लेखपालों का स्थानान्तरण एक तहसील से दूसरी तहसील में कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

राजस्व-9

58/98	29-01-1998 : अतारां0-4, 5 श्री तेजभान सिंह- श्री श्याम प्रसाद चौरसिया पुत्र श्री राम लाल निवासी ग्राम व पोस्ट बेल पश्चिम तहसील व जिला सुल्तानपुर के चक संख्या 480 पर अवैध कब्जा करके निर्माण कराये जाने की जांच।	आदेश दिये गये हैं।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने अवगत कराया कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद सं0 322/97 में न्यायालय द्वारा दिनांक 19-2-1988 को यह आदेश पारित किया गया है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक स्थल की यथास्थिति बनायी रखी जाय। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		राजस्व-9	
59/98	29-01-1998 : अतारां0-6 श्री मित्रसेन यादव- जनपद फैजाबाद के ग्राम्य अधिकारी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर में राजस्व कर्मियों द्वारा सरकारी भू-सम्पत्ति को बिना खातों में दर्ज कराने की जांच।	आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि फैजाबाद के अन्तर्गत 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो निजी खातों में दर्ज की गयी थी, जांच के बाद उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर के आदेश दिनांक 7 जून, 1997 द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था। दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दंडित किया गया। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		राजस्व-5	
60/98	29-01-1998 : अतारां0-10 श्री राधेश्याम सिंह- नव सृजित जनपद पडरौना के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्माण कार्य की कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 31-03-04 को पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 02-06-04 को भवन निर्माण हस्तगत भी हो चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

राजस्व-5

417/99	25-02-1999 : अतारां0-141 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- नवसृजित ज्योतिबा फूलेनगर को समाप्त किये जाने के विषय में मंत्रि-परिषद् की उपसमिति द्वारा विचार।	विचार किया जा रहा है।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद ज्योतिबा फूलेनगर को अधिसूचना दिनांक 25-02-2004 पर तहसील कांठ को अधिसूचना सं0 30-07-2002 द्वारा क्रियाशील व सृजित कर दी गयी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

राजस्व-4

80/2000	30-03-2000 : अतारां0-136 श्री सीताराम निषाद- वेतन आयोग द्वारा वर्ष 1993 में निर्गत किये गये आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारियों के आशुलिपिकों को रु0 1640-2900 का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सेवा नियमावली, 1998 में जिलाधिकारी के आशुलिपिकों के लिए वेतनमान रु0 5000-150-8000 निर्धारित किया गया जो वर्तमान में दिया जा रहा है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		राजस्व-2	
401/2002	05-09-2002 : तारां0-4 श्री राम करन आर्य- भूमिहीन अ0जा0 के व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिलाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कृषि भूमि आवंटन योजना के प्रारम्भ वर्ष 1975-76 से माह सितम्बर, 2013 तक प्रदेश के अनुसूचित जाति के 2153387 व्यक्तियों को 845793.970 हे0 भूमि आवंटित की गयी है तथा आवास स्थल आवंटन योजना के प्रारम्भ वर्ष 1972-73 से माह सितम्बर, 2013 तक प्रदेश में अनुसूचित जाति के 2931960 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये गये हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		राजस्व-2	
22/2008	14-02-2008 : अतारां0-25 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद- जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम मर्का में भगवत प्रसाद प्रजापति पुत्र राम आधार द्वारा गांव सभा की 70 बीघे जमीन का फर्जी इन्द्राज की जांच कराया जाना।	जांच करायी जा रही है।	दिनांक 12-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गाटा सं0 4269 जो 6 बीघा भागवत प्रसाद पुत्र राम आधार के नाम दर्ज में 6 के स्थान पर 16 बीघा अंकित कर दिया गया था, जो अवैधानिक था, जिसे चकबन्दी अधिकारी ने अपने वाद सं0 901 तारीख फैसला 09-12-2002 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 74 विधान सभा (110)-13-07-2016-650 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।